**महत्वपूर्ण**

**संख्या-15/1989/26-3-2014-(358)/07-टी0सी0-iii**

**प्रेषक,**

**सुनील कुमार,**
**प्रमुख सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन,**

**सेवा में,**

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 28 अक्टूबर, 2014

विषयः वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2014 के कार्यान्वयन हेतु समय-सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1076/26-3-2014-4(358)/07टी0सी0-iii दिनांक 15-07-2014 एवं शासनादेश संख्या-1300/26-3-2014-4(358)/07टी0सी0-iii दि0-14-08-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिये दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को लागू करने हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी है।

2- निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक-3640/सक/शिक्षा-अ/2014-15 दिनांक 27-10-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 15-07-2014 में निर्गत समय-सारणी में क्रमांक-7 से 15 तक अंकित विभिन्न प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों के लिए निम्नवत समय-सीमा बढाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | विषय | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | पूर्व निर्धारित अन्तिम तिथि | नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 7 | छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण। | छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु एवं नये आवेदकों द्वारा आनलाइन आवेदन भरा जाना एवं सबमिट किया जाना | 01 सितम्बर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक | 01 सितम्बर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक |
| 8 | | छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों को स्वयं आनलाइन सुधार किया जाना। | | 01 नवम्बर, 2014 से 10 नवम्बर, 2014 तक |
| 9 | | छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी को संलग्नकों सहित सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में | 07 नवम्बर, 2014 तक | 17 नवम्बर, 2014 तक |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | जमा किया जाना। | | |
| 10 | | शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के आनलाइन विवरण को सत्यापित करना एवं शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को संस्तुति सहित अग्रसारित करना। | 15 नवम्बर, 2014 तक | 24 नवम्बर, 2014 तक। |
| 11 | | प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के विवरण को आनलाइन सत्यापित करना एवं सम्बन्धित छात्र/छात्रा के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को संस्तुति सहित आवेदन पत्र की हार्ड कापी प्रेषित करना। | 20 नवम्बर 2014 तक | 27 नवम्बर 2014 तक। |
| 12 | | शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में आनलाइन विवरण को सत्यापित एवं अग्रसारित करना। | 25 नवम्बर, 2014 तक | 03 दिसम्बर, 2014 तक। |
| 13 | | प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं शिक्षण संस्थानों के विवरण को शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के उपरान्त तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित छात्रवृत्ति डाटा को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं अग्रसारित करने के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा विभिन्न परीक्षा नियंत्रक संस्थानों/विभागों यथा- यू.पी.टी.यू. ए.आई.सी.टी.ई. यू.जी.सी. एन.सी.टी.ई, एम.सी.आई. विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन एवं बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से मिलान एवं समस्त जनपदों के छात्रों के डाटा को आपस में मिक्स कर डुप्लीकेट डाटा की छंटनी व परीक्षण कर शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदों की छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जाना। | 05 दिसम्बर, 2014 तक | 13 दिसम्बर, 2014 तक। |
| 14 | | जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा | 15 दिसम्बर, | 20 दिसम्बर, |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हार्डकापी में स्वीकृत करना व जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा आनलाइन लाक किया जाना। | 2014 तक | 2014 तक |
| 15 | | जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार मांग के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट (e-payment) प्रक्रिया के तहत P.F.M.S. साफ्टवेयर के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सीधे अन्तरित कराया जाना। | 31 दिसम्बर, 2014 तक | 31 दिसम्बर, 2014 तक। |

शेष प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों के लिये पूर्व में निर्धारित की गयी तिथि यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या 1989/26-352014 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से तत्काल भिजवाने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in